जल संरक्षण तथा जल संग्रह के विषय में राज्य में हो रही कार्रवाई की संक्षिप्त विवरणात्मक नोंध

1. राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रही कार्रवाई: -

जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, टैंकों तथा तालाबों को गहरा करना, जलाशयों का निर्माण, लवणता निस्तारण रोकथाम कार्यों को बढ़ावा देना इत्यादि गुजरात सरकार के प्राथमिकताओं में से एक है। इस उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने लोगों के भागीदारी, गैर-सरकारी संगठनों तथा औद्योगिक घरानों के सहयोग से कई प्रभावी कदम उठाए हैं।

छोटे-बड़े चेकडैम :-

गुजरात सरकार ने राज्य में सरदार पटेल सहभागी जल संरक्षण योजना का अमलीकरण किया है, जिसके तहत चेकडैम का निर्माण कार्य किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हो रहे खर्च का वहन क्रमशः 80:20 के हिसाब से राज्य सरकार तथा लाभार्थी किसानों द्वारा किया जाता है। मार्च, 2019 अंतित स्थिति पर राज्य में 169400 चेकडैम, 305882 खेत तालाब, 5241 वन तालाब, 35342 तालाब को गहरा करना इत्यादि मिलाकर कुल 515865 जितने जल संग्रह के काम सम्पन्न हो चुके हैं।

सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के अंतर्गत मार्च 2019 तक 30416 कम सम्पन्न हुए हैं तथा करीबन 12279 पुराने तालाबों को और गहरा बनाने का काम पूरा हो चुका है। लोकभागीदारी से जल संरक्षण के काम राज्य में हो रहे हैं।

2. गुजरात राजभवन में जल संरक्षण व जल प्रबंधन के उपलक्ष्य में की गई कार्रवाई: -

1. गुजरात राजभवन परिसर में जल प्रबंधन प्रणाली की देखभाल हम निष्ठापूर्वक कर रहें हैं। राजभवन के उद्यानों और उनमें लगे पेड़- पौधों इत्यादि के निभाव के लिए हमने Water Sprinkler System लगाई है। इसने पानी के न्यूनतम उपयोग के साथ हरे-भरे परिसर को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में हमारी मदद की है।

2. वर्षा जल संरक्षण का काम सुचारु रूप से करने के लिए राजभवन की तरफ से राज्य के सड़क और आवास विभाग को Rain Water Harvesting की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना को सरकार की स्वीकृति भी मिल चुकी है। वर्ष 2021-2022 तक यह परियोजना कार्यान्वित की जाएगी। इससे राजभवन परिसर के बारिश के जल का भूमि संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

3. राजभवन में दिन-प्रतिदिन के ठोस कचरे का निष्कासन दैनिक आधार पर किया जाता है।

3. <u>गुजरात के विश्वविद्यालयों में जल संचयन और जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के संदर्भ में हो रही कार्रवाई: -</u>

केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य और जल संरक्षण को लेकर विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है जो विकास की राष्ट्रीय प्रमुख आवश्यकताएँ हैं।

इन प्राथमिकताओं के अनुरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) के तत्वावधान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए "जल शक्ति परिसर" और " जल शक्ति ग्राम " 2 मैन्युअल तैयार किए गए हैं, जिनमें उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए विस्तृत जल संरक्षण योजना की रूपरेखा दी गई है।

गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने 5 अक्टूबर, 2019 को राजभवन, गांधीनगर में एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के वित्तपोषित विश्वविद्यालयों तथा निजी पोषित विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों की उपस्थिति में इन मैनुअलों का विमोचन किया था। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रुरल एज्यूकेशन के डॉ. डब्ल्यू. जी. प्रसन्नकुमार, राज्य के शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा विभाग प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में सभी उप-कुलपतियों को यह निर्देश दिया गया था कि वह अपने-अपने विश्वविद्यालयों के परिसरों के लिए जल संरक्षण की योजना तैयार करके उनका कार्यान्वयन करें।

इस उपलक्ष्य में हम पुनः इन सूचनाओं को सभी विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों को भेज रहें हैं तथा उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे रहें हैं।

कुछ विश्वविद्यालयों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी किया है।

4. <u>इंजीनियरींग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में एकीकृत जल प्रबंधन पाठ्यक्रम को समाविष्ट करना: -</u>

हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए एकीकृत जल प्रबंधन एक प्राथमिकतावाला क्षेत्र है।

गुजरात भी भारत का सबसे अधिक पानी के अभावग्रस्त राज्य में से एक है, जिसने अतीत में कई सूखे (draughts) देखे हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी पूर्ति करने के लिए जल प्रबंधन और संरक्षण (conservation) पर हमने अत्यधिक बल दिया है। यह विषय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस विषय के विशेषज्ञों की आवश्यकता भी है, जो इस मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करने में हमारी मदद कर सकें।

इस उपलक्ष्य में हमारी इंजीनियरिंग कॉलेजों ने तथा विश्वविद्यालयों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे यहाँ कई ऐसे कॉलेजीस और विश्वविद्यालय हैं जहां इच्छुक छात्रों को स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थानों की सूची निम्नलिखित है :-

क्रम नं	विश्वविद्यालय / कॉलेज के नाम	उपलब्ध पाठ्यक्रम
(1)	(2)	(3)
1.	एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा	• ME (जल संसाधन इंजीनियरिंग) • ME (सिंचाई और जल प्रबंधन इंजीनियरिंग) • BE (सिंचाई और जल प्रबंधन)
2.	गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	• वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग (सिविल इंजीनियरिंग) में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमई)
3.	सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, बनासकांठा	• M. Tech. मिट्टी और जल इंजीनियरिंग
4.	पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वडोदरा	• M. Tech. (जल संसाधन इंजीनियरिंग)
5.	एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अहमदाबाद	• M. Tech. (सिविल) जल संसाधन इंजीनियरिंग)
6.	एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अहमदाबाद	• M. Tech. (सिविल) जल संसाधन इंजीनियरिंग)
7.	लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोरबी	• स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम (मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग)
8.	शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज, भावनगर	• स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम (मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग)
9.	डॉ. एस. और एस.एस. Gandhi शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सूरत	• एम.ई.आई (जल संसाधन इंजीनीयरिंग)